



फाइल संख्या: 16/29/2025-प्रशासन-भाग(2)कंप्यूटर संख्या: 263206

दिनांक: ___/02/2026

कार्यालय ज्ञापन

परिषद के दिनांक 29.03.2025 के कार्यालय आदेश संख्या 16/15/2023-प्रशा. के अनुक्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परियोजना कर्मचारी को किसी भी स्थिति में, चाहे एक ही परियोजना अथवा एक से अधिक परियोजनाओं में, विराम सहित या बिना विरामदिए बिना अधिकतम संचयी कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उक्त पाँच (05) वर्ष की अधिकतम सीमा सभी परियोजना कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे उनकी नियुक्ति किसी भी माध्यम या प्रक्रिया से की गई हो, जिसमें आउटसोर्स एजेंसियों, (GeM) पोर्टल या किसी अन्य आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से की गई नियुक्तियाँ भी शामिल हैं।

आगे यह सूचित किया जाता है कि जो परियोजना कर्मचारी वर्तमान तारीख तक पाँच (05) वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, उन्हें केवल उनकी स्वीकृत कार्यावधि की समाप्ति तक ही कार्य करने की अनुमति होगी तथा इसके पश्चात किसी भी प्रकार का विस्तार या निरंतरता मान्य नहीं होगी, और यदि ऐसा कोई विस्तार या निरंतरता दी जाती है तो संबंधित वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी (इंट्राम्यूरल एवं एक्स्ट्राम्यूरल), परियोजना अन्वेषक (पीआई), प्रभागाध्यक्ष तथा मेजबान संस्थान के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी एवं जवाबदेह होंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,
सभी निदेशक/निदेशक-प्रभारी,
परिषद के सभी संस्थान/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव, परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली
- परिषद के सभी प्रभाग-प्रमुख
- उपमहानिदेशक(प्रशासन)/ सहा. महानिदेशक (दोनों)/प्रशासन अधिकारी (प्रशा.), परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली
- वरि. प्रशा. अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (इंट्राम्यूरल एवं एक्स्ट्राम्यूरल)
- डॉ. एम.एस. चाल्गा, वैज्ञा.-डी- परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।